
# UTTARAKHAND STATE LEGAL SERVICES AUTHORITY

**VOLUME-V** 

APRIL - JUNE, 2015

**ISSUE-II** 



A quarterly newsletter published by
Uttarakhand SLSA

High Court Campus, Nainital – 263001, Telefax : 05942 – 236552, e-mail : ukslsanainital@gmail.com, slsa-uk@nic.in, website : www.slsa.uk.gov.in

DUM COM COM COM

## MONTHLY NATIONAL LOK ADALATS



As per directions of National Legal Services Authority and under the valuable guidance of the Hon'ble the Executive Chairman, Uttarakhand State Legal Services Authority, three monthly National Lok Adalats were organized in the various Courts of State of Uttarakhand on 11.4.2015, 9.5.2015 and 13.6.2015 respectively.

In these monthly National Lok Adalat, 2235 cases relating to Labour, Family dispute, Motor Accident Claims and Insurance Claims were taken up, out of which 455 cases were disposed of amicably and an amount to the tune of Rs. 1,98,54,266/- was awarded as compensation and Rs. 31,21,627/- was realized as fine. Also, 586 persons were benefited.

### INTERNATIONAL LABOUR DAY



On the occasion of 'International Labour Day' on 1.5.2015, total 11 legal awareness camps and 03 seminars were conducted at different places of Uttarakhand. The aim of these awareness camps was to protect the legal rights of the workers serving in unorganized sector. In these camps, 1441 workers were sensitized.



Awareness camp on International Labour Day at Gopeshwar, District-Chamoli



Seminar on International Labour Day at Pithoragarh



Law student on International Labour Day at Unity Law College, Rudrapur

### **WORLD NO TOBACCO DAY**



'World No Tobacco Day' was celebrated on 31.5.2015 by conducting 11 legal awareness and sensitization camps, wherein 937 people were sensitized about the ill effects caused by the intake of tobacco products. They were also urged to quit the use of these substances.



Camp on NoTobacco Day at GIC Langasu, District-Chamoli



Street Play on No Tobacoo Day at Pauri Garhwal

the state of the s

### **WORLD ENVIRONMENT DAY**



'World Environment Day' was observed on 5.6.2015 and on the said occasion 16 legal awareness camps were organized. In these camps, 2824 people were made aware about the excessive emission of green house gases and their adverse effects on earth, like pollution and global warming. An appeal was also made to protect our environment.



Plantation on World Environment Day at Brahmsain, District-Chamoli



Secretary, DLSA, Almora sensitizing the students on World Environment Day

## LEGAL AWARENESS AND SENSITIZATION ACTIVITIES AT DISTRICTS LEVEL



With view to provide necessary legal aid to the under-trial prisoners, 26 camps were organized in jail premises wherein 2609 prisoners were made aware about their legal rights and the legal aid available to them.



Visit of Judicial Lockup by Secretary DLSA Pithoragarh



22.4.15 Sensitization camp at District Jail-Chamoli on prisoner's rights

48 micro/mega/special legal awareness camps on subjects such , Right to Information, Police Act, Labour Law, M.A.C.T., Dowry Prohibition Act, Copying Act, Indian Education Act, Child Labour, Revenue Laws, Domestic Violence Act, Female Foeticide Act, Forest Laws and MNREGS were organized in different parts of the State wherein 6015 persons from various strata of society participated and got benefitted.



Awareness camp on 12.4.15 at Dashailthal District Pithoragarh DJ



Awareness camp for victims of natural disaster at Tehsil compound Tharali



Chairman, DLSA, Almora sensitization the senior citizens about their legal rights



Gathering in sensitization camp on 31.6.2015 at Uttarkashi

At school level, 16 legal awareness camps were organized on the subject of 'Fundamental Duties' wherein 3316 students were sensitized about their fundamental rights and duties. Students were also informed about relevant provisions of law, such as Right to Information, Right to Education and Child Marriage.

In order to sensitize the female community about their legal rights and the issues relating to them, 16 legal awareness camps were organized benefiting 2317 females.



Awareness camp on fundamental duties and rights at Ramnagar Bhamrola, Rudrapur



Special camp on women empowerment and female foeticide at SIT Institute, District-Pithoragarh



Camp on women empowerment and female foeticide at Karnaprayag, District-Chamoli

Apart from above, 06 camps were also conducted for providing necessary legal aid and compensation to the victims of natural calamity, wherein 2230 persons were benefited by getting information about the schemes run by State Government for their welfare.

Also, in order to evaluate and monitor the works done by the Para Legal Volunteers, frequent meetings are held by the concern District Legal Services Authorities.



Special camp for disaster victims on 16.4.2015 at Almora



Awareness camp at Tharali, District-Chamoli for rehabilitation for disaster victims



Chairperson, DLSA, Pithoragarh interacting with PLVs

## LEGAL AWARENESS CAMPAIGN THROUGH MOBILE VAN

To provide legal aid and advice at the doorsteps, legal awareness and sensitization camps were organized through mobile van in districts Dehradun, Uttarkashi and Pauri Garhwal during the period from April, 2015 to June, 2015. In the said camps, documentary films on the subjects of mediation, lok adalat and legal aid prepared by National Legal Services Authority and State Legal Services Authority were displayed to the common people. The queries raised by the villagers were also solved in these camps.



Distribution of legal informative booklets



Gathering during the mobile van visit

During this period, State Legal Services Authority's mobile van covered 57 villages of the aforesaid districts and 2809 persons were benefited. One Mobile Lok Adalat was also conducted in District-Pauri Garhwal, wherein 43 cases were referred, 13 cases were settled amicably and 50 persons were benefited.



Para Legal Volunteer makeing awareness among the people



People watching documentary film prepapred by UKSLSA

## बाल श्रम कानूनों की दी जानकारी संविधान का सम्मान हमारा कर्तव्य

प्राधिकरण की ओर से अंतरराष्ट्रीय बाल विरोध दिवस पर राजकीय पॉलीटेक्निक सिडकुल में विधिक साक्षरता एवं जागरूकता जिविर का आयोजन किया गया। शिविर में किशोरों को बाल श्रम प्रतिषेध अधिनियम, बालक श्रम गिरवीकरण अधिनियम, किशोर न्याय बोर्ड शिक्षा का अधिकारी अधिनियम एवं बाल कल्याण समिति के बारे में जानकारी दी गई।

शिविर में जिलाधिकारी एचसी सेमवाल ने बताया कि राज्य सरकार की ओर से बाल श्रम को रोकने के लिए आर स बाटा त्रम का राक्टा कार्रवाई की अनेक कार्य और कानूनी कार्रवाई की जा रही है। बताया कि बाल श्रम से किशोरों को दूर रखकर उनके बचपन



विधिक सामस्ता एवं जागरूकता शिविर में मौजूद अतिथि।

अध्यक्ष एनएस धानिक ने कहा कि बाल होगा और किशोरों का जीवन सुरक्षित रह जागरूक किया जायेगा। कहा कि समाज

श्रम को रोकने के लिए लोगों को सकेगा। शिविर में राजेश रस्तोगी, अनुज समां, पुलिस क्षेत्राधिकारी राजेश भट्ट, को संवारा बाएगा। जनपद न्यायाधील का प्रत्येक व्यक्ति अपने मूल कर्तव्यों सिडकुल बाना प्रभारी ऋतुराव सिंह, एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के को समझेगा तभी बाल श्रम में सुधार हरेन्द्र गर्ग आदि गौजूद थे।

- 🔷 देश के कानून का सभी लोग करें सम्पान
- मिंगराड़ा में लगा विधिक शिविर

आगरण संवाददाता, चम्पावत : जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वावधान में पाटी तहसील के भिगराड़ा में आयोजित विधिक शिविर में बतौर मुख्य अतिथि बोलते हुए जिला जन्न भूपेंद्र सिंह दुम्ताल ने कहा कि देश का संविधान का सम्मान करना हमारा कतंव्य है। लिहाजा, कानून का

डीजीसी भाष्कर मुगरी के संचालन में लगे विधिक शिविर में ग्रामीणों को कानून की तमाम जानकारियों से अवगत कराया गया। डीजीसी सुनील उपभोक्ता फोरम सदस्य



भिंगराड़ा में विधिक शिविर में बोलते जिला जज।

में बताया। सीएमओ डा.प्रवीन कुमार, उपचार कर नि.शुल्क दवाईयां बांटी। बाल विकास परियोजना की तनुजा वर्मा सहित तमाम विभागों के विकलांग व वृद्धावस्था पेशन, एक को अधिकारियों ने विभागीय जानकारी से विधवा और दो को किसान पेशन रूबरू कराया। एसडीएम जेएस राठीर

समाज कल्याण विभाग ने तीन को के विकलांग व वृद्धावस्था पेशन, एक को योजना से जोड़ा। वन विभाग के सीजेएम मनमोहन सिंह. सिविस जंज कर्मियों ने अंगलों को आग से बचाने

## कानूनी जानकारी से ही बढ़ेगी जागरूकता

 भैरव मंदिर में चल रहे कानूनी जागरूकता अभियान का समापन

**जागरण संवाददाता, टनकपुर**ः जिला विधिक सेवा प्राधिकरण चम्पावत के अध्यक्ष जिला सवा आधकरण प्रभावत के जन्म ज जज वीएस दुग्ताल व सचिव सीजेएम मनमोहन सिंह के दिशा निर्देश पर पूर्णागिर क्षेत्र के भैरव मंदिर में एक गई से चल रहे कानूनी जागरूकता अभियान का समापन हो गया। इसमें स्थानीय लोगों व मां पूर्णांगिरि धाम में आने वाले तीर्थ यात्रियों को विधिक जानकारी देने के साथ निशुल्क कानूनी पुस्तके भी वितरित की गई। समापन भैरव मंदिर के एसओ प्रभात कुमार ने किया। उन्होंने इस तरह के कार्यक्रमों की मगहन करते हुए कहा कि कानून की जानकारी न होने से लोग अपने अधिकारों व लाभों के बारे में जानकारी से वंचित रह जाते हैं। विधिक प्राधिकरण के अर्जुन सिंह ने बताया कि सैकड़ों लोगों को विधिक जानकारी देने के साथ आठ दिनों में दो हजार लयु कानूनी पुस्तकें भी बांटी गई। कार्यक्रम में रोनक अली, कविता चौहान, जौहार सिंह अनीस अहमद, सुशीला राणा, खीमानंद जोशी, योज याजीत प्रिंड साहत सीमा हेती सोज

## गुमशुदा बच्चों की तलाश हर वर्ग के लिए है को बने ब्लाक स्तरीय टीम उत्तरकाशी : विश्व बाल गुमशुरा दिसे पर आयोजित की प्रावधान गोण्डी में बेंच्चों की गुमशुरागी की बबती दर पर बिता श्रीनगर महवात: विवार को प्राथमिक बताई गई। गोष्टी में बकाओं ने इसे कम करने को लेकर सुआव दिए। तब किया गया कि इसके लिए क्यांक जानक का विवार का अपनिक वामक का विवार का अपनिक वामक का विवार का अपनिक

सुझाव दिए। तय किया गया कि इसके लिए ब्लॉक स्तर पर खास टीमों का गठन किया जाएगा। जिला न्यायालय सभागार में सोमवार को आयोजित गोष्टी मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अरूण बोहरा ने बताया कि बच्चों के गुमशुदा होने के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। इसको रोकने के लिए लोगों को जागरूक होना जरूरी है। न्यायिक मजिस्ट्रेट लिलता सिंह ने बताया कि बच्चों के गुमशुदा होने में हमारा समाज भी जिम्मेदार होता है। कई बच्चों की परिस्थितियां समाज भी जिम्मेदार होता है। कई बच्चों की परिस्थितवां समाज के हर वर्ग की निशुक्त कानूने सही नहीं होने के कारण भी घर से भाग जाते हैं। खेकिन सहायता उपलब्ध कराने के लिए विशेष अगर उन बच्चों की मदद के लिए सरकार आगे आए तो प्रावधान है। विभिन्न विधिक बिंदुओं पर भी अगर उन बच्चों की मदद के लिए सरकार आगे आए तो इसे कम किया जा सकता है। वहीं दूसरे न्यायिक मजिस्ट्रेट मुहम्मद आरिफ ने बताया कि गुमजूदा बच्चों को खोजने के लिए ब्लॉक स्तर पर एक टीम का गठन होने जरूरी है के लिए ब्लाक स्तर पर एक दान का गठन कान करूप क जिसके पास अपने क्षेत्र से होने वाले गुमझुदा बच्चों की पुरा डाटा हो। अधिवकाओं ने अपनी ओर से बच्चों की पुमसुदर्गी कम करने के लिए अनेक सुझाव दिए। गोप्टी के अंत में ईस दिशा में गंभीरता से कार्य करने का संकल्प लिया गया। साथ ही तय किया गया कि बच्चों की गुमशुदगी को प्रभावी हंग सेरोकने के लिए ब्लॉक स्तर पर रीमों का गुम्ब कि का गठन किया जाएगा। इन टीमों के पास बच्चों के टीमां का गठना किया आएक। इन टाम्म क जान नर्जा । 107, 116 तमः जात । उत्तर्भागां ने प्रामीण इतितात से लेकर उनके, अधिकारी संबंधी पूरा विवरण बताया। प्रधानाम्पाक बीएम नंगी ने प्रामीण होगा। इससे गुम्मदुरा होने वाले बच्चों को बूंढने में आसानी से विवर का साम दिश्चर का लाभ उठाने का जेनी । मोर्चन में जार गार्गिकाराज के उपलब्ध जाराव्याम आजनात्र विवार। सामाण की गांध प्रधान

इसमें ग्रामीणों को विभिन्न कानूनों और कानूनी अधिकारों के बारे में भी विस्तार से जानकारी दी गई। बड़ी संख्या में ग्रामीण शिविर में शामिल हुए।

सिविल जज (जुनियर दिवीजन) सचिन कुमार चौहान ने विधिक जागरूकता शिविर की उपयोगिता के बारे में बताते हुए कहा कि उन्होंने विस्तार से जानकारी दी। सिविल जज चौहान ने जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से निधंन व्यक्तियों को दी जाने वाली निशुल्क कानृनी सहायता के बारे में भी विस्तार से बताया। हर गांव में नियुक्त होने वाले पैय लीगल वालॉटियर के कर्तळ्यों के बारे में भी उन्होंने जानकारी दी। सहायक अभियोजन अधिकारी एपी उनियाल ने प्रथम सुचना रिपोर्ट, अंतिम रिपोर्ट के साथ ही घरेल हिंसा अधिनियम, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 107, 116 तथा धारा 156 (तीन) के बारे में



ये जारी अभिक अधिकार

## श्रमिकों के प्रति रहें संवेदनशील

जागरण संवाददाता, चम्पादत : जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वावधान में जिला जजी में मजदूर दिवस पर गोष्ठी आयोजित हुई। जिला जब भूपेंद्र सिंह दुग्ताल की अध्यक्षता में हुई गोष्टी में मजदूरों के प्रति संवेदनशील रहने की बात कड़ी गई।

इस दौरान मजदूरी शुरू होने के इतिहास

• मजदूर दिवस पर आयोजित हुई गोष्ठी

गया। कहा गया कि श्रीमक हमारे ही बीच का एक हिस्सा है। जिसकी जिम्मेदारी भी हमारी ही है। इसलिए हर प्रकार की मदद की जानी चाहिए। सीजेएम मनमोहन सिंह, न्यायिक

लिंग भेद के खिलाफ मिनस्ट्रेट मंत्रु मुंडे सहित जिला न्या कन्या भ्रूण हत्या रोकने जागरूकता जरूरी : राय

कानूनी जानकारी से

कम होंगे अपराध

्या प्राथमिका की स्थापन वह पुर पुर र न कहा कि सम्माव का अध्यक्षित को प्राथमिका की रामाविका की रामाविक

विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से यहां राजकीय कन्या इंटर कालेज में कानूनी शिविर आयोजित किया गया। इसमें मुख्य न्यायिक मजिस्टेट बंद्रमणी राय ने लिंग भेद के खिलाफ जनजागरूकता को जरूरी बताया। कहा कि भ्रूण हत्या के अपराधियों के लिए कड़े दंड की ठववस्था है।

जीजीआइसी में लगे शिविर में वक्ताओं ने कहा कि राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के नेशनल प्लान आफ एक्शन फार 2015-16 के अंतर्गत कन्या भ्रूण हत्या के खिलाफ जनजागरण अभियान चलाया जा रहा है। इसमें जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव के रूप में जिला जज राय ने कहा कि भूण परीक्षण कानूनी अुर्म है। भ्रूण हत्या करने वाले माता-पिता, संबंधित

कांडा (बागेश्वर)। जिला डाक्टरों के लिए कड़े दंड का प्राविधान होता है। ध्रूण की लिंग जांच, हत्या के मामलों में सजा, जुर्माने की व्यवस्था है। उन्होंने देश में कन्याओं के गिरते लिंगानुपात पर चिंता व्यक्त की है। कहा कि इस मामले में डाक्टरों, स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को सतर्क रहने की जरूरत है। वरिष्ठ अधिवक्ता गोविंद बल्लभ उपाध्याय ने कार्यक्रम का संचालन किया। रेडियोलाजिस्ट डा. खेमपाल ने तकनीकी पहलु बताए। वहां कांडा की एसडीएम रेखा कोइली जा रीमा उपाध्याय, जन शिक्षण संस्थान निदेशक जितेंद्र तिवारी, के अध्यापिका कविता आर्या, माया आर्या, मीना टम्टा, सरिता राणा, मंजू हरिड़या, ममता रानी, राजेंद्र प्रसाद, विनीत चौधरी, शैलेंद्र कुमार, गोविंद सिंह आदि उपस्थित थे। ब्यूरो

co Co

व्यवस्था श पर रोशनाबाद स्थित राजकीय बाल गृह आयोजन किया गया है। आयोजित थि मेश सिंह ने बालगृह में रह रहे बच्चों से हर्मचारियों से उनकी चिकित्सा व्यवस्था O क प्राधिकरण कल्वाटी क्रिक्ट क्रमर उजाला ब्यूरी क्रिक्ट बार्गफ्रवर। राष्ट्रीय क्रिक्ट प्रक्रिकरण नई दिल आयोजन

विधिक निदेशा

क

काननी

ग्राधिकरण

कृमकुम रानी के शिविर

मागेश्वर। राष्ट्रीय विधिक सेवा आधिकरण नई दिल्ली और राज्य प्राप्तिकरण नई दिल्ली और राज्य विधिक सेवा प्राप्तिकरण नैनीताल के निर्देश पर जिला विधिक सेवा कर्मचारियों ण सचिव रमेश ि निते हए कर्मचा उन्होंन कन्या भूण हरणा राक्षन के लिए समाज में जानकक्ता हाने को कहा। उनहींने लोगों को कानून की विभिन्न धाराओं के बारे में विस्तार से जानकारी दी। ने पान के पान कि विशाह नागावंदी, शिष्टा का अधिकार जैसे महस्वपूर्ण कई अधिनियां की



## STATISTICAL INFORMATION

STATEMENT SHOWING THE PROGRESS OF LOK ADALATS HELD IN THE STATE OF UTTARAKHAND FOR THE PERIOD FROM APRIL, 2015 TO JUNE, 2015

S. No.	Name of District	Total No. of Lok Adalats Held	Total No. of Cases Taken up	Total No. of Cases Disposed off	Total Compensation Awarded	Total Amount Realized As Fine (in Rs.)	Total No. of Persons Benefited
01	ALMORA	09	273	113	4,08,500=00	2,57,600=00	113
02	BAGESHWER	05	222	69	3,00,000=00	1,25,100=00	69
03	CHAMOLI	04	51	02	5,50,000=00	1,20,100 00	05
04	CHAMPAWAT	02	51	03	1,50,500=00		03
05	DEHRADUN	06	6720	1079	48,78,000=00	3,56,190=00	1187
06	HARDWAR	06	5156	1384	57,97,203=00	8,68,900=00	1938
07	NAINITAL	03	2294	582	7,11,000=00	35,65,327=00	583
08	PAURI GARHWAL	02	105	13	16,28,813=00	00,00,027=00	13
09	PITHORAGARH	05	693	273	1,60,000=00	3,24,700=00	
10	RUDRAPARYAG	05	419	165	17,38,114=00	65,200=00	294
11	TEHRI GARHWAL	02	57	23	12,40,000=00	20,500=00	165
12	U.S. NAGAR	06	3895	1013	1,25,87,680=00		28
13	UTTARKASHI	06	361	142	2,30,000=00	14,79,950=00	1014
14	HCLSC, NTL	01	31	07		79,125=00	245
	TOTAL:-	62	20328	4868	30,56,557=00 3,34,36,367=00	71,42,592=00	15 <b>5672</b>

## STATEMENT SHOWING THE PROGRESS OF SENSITIZATION CAMPS ORGANIZED AND THE LEGAL AID/ADVICE PROVIDED IN THE STATE OF UTTARAKHAND FOR THE PERIOD FROM APRIL, 2015 TO JUNE, 2015

S. No.	Name of District	No. of Camps Organized of	Total No. Persons Benefited in Camps	No. of Persons Benefited Through Legal Aid & Advice	
				Legal Aid	Advice
1	2	9	10	11 1:	2
01 A	LMORA	25	5662	26	05
02 B	AGESHWER	16	5730	03	-
03 CI	HAMOLI	14	970	09	_
04 CI	HAMPAWAT	15	2745	06	
05 DI	EHRADUN	35	3480	73	01
06 H	ARDWAR	28	3867	36	17
07 N/	AINITAL	15	3346	20	05
08 PA	URIGARHWAL	26	6316	21	
09 PI	THORAGARH	16	1615	11	
10 RL	JDRAPARYAG	14	1194	08	-
11 TE	HRIGARHWAL	12	1091	04	-
12 U.	S. NAGAR	12	1870	37	06
13 -UT	TARKASHI	10	2050	25	-
14 HC	LSC, NTL		* -	38	-
15 U.I	K. S.L.S.A	01	125		04
	TAL:-			25	16 <b>54</b>
TO	TAL:-	239	40061	342	



## **CONTACT US**

S.NO.	ADDRESS	DESIGNATION	CONTACT NUMBERS
01	Uttarakhand State Legal Services Authority, High Court Compound, Nainital	Member Secretary Office on Special Duty	Office: 05942-236762; Telefax: 236552
02	High Court Legal Services Committee, High Court Compound, Nainital	Secretary	Office:05942-232085 Fax: 05942-237721
03	District Legal Services Authority, Almora	Sh. Ravindra Maithani, Chairman Ms. Reena Negi, Secretary	Office: 05962-231105 9456592149
04	District Legal Services Authority, Bageshwar	Sh. G. K. Sharma, Chairman Mrs. Jyotsna, Secretary	Office: 05963-221844 9456592166
05	District Legal Services Authority, Chamoli,	Sh. Alok Verma, Chairman Sh. Shivakant Dwivedi, Secretary	Office: 01372-251529 9456596061
06	District Legal Services Authority, Champawat	Sh. B.S. Dugtal, Chairman Sh. Manmohan Singh, Secretary	Office: 05965-230915 9456592152
07	District Legal Services Authority, Dehradun	Sh. R. D. Paliwal, Chairman Sh. Kuldeep Sharma, Secretary	Office: 0135-520873 9456596239
80	District Legal Services Authority, Hardwar	Sh. N.S. Dhanik, Chairman Sh. Ramesh Singh, , Secretary	Office: 01334-239780 9412079246
09	District Legal Services Authority, Nainital	Ms. Kumkum Rani, Chairman Smt. Jyoti Bala, Secretary	Office: 05942-237159 9456596237
10	District Legal Services Authority, Pauri Garhwal	Sh. Kanwar Sain, Chairman Sh. Yogendra Kumar Sagar, Secretary	Office: 01368-221815 9412079213
11	District Legal Services Authority, Pithoragarh	Sh. S.K. Tyagi, Chairman Sh. Ritesh Kumar Srivastava, Secretary	Office: 05964-228322 9456596067
12	District Legal Services Authority, Rudraprayag	Sh. Ashish Naithani, Chairman Smt. Sangeeta Rani, Secretary	Office: 01364-233796 9456592160
13	District Legal Services Authority, Tehri Garhwal	Smt. Meena Tiwari, Chairman Sh. Abdul Qayyum, Secretary	Office: 01376-233424 9456596230
14	District Legal Services Authority, Udham Singh Nagar	Sh. R.C. Kukreti, Chairman Sh. Arvind Nath Tripathi, Secretary	Office: 05944-250682 9456592148
15	District Legal Services Authority, Uttarkashi	Sh. R.S. Chauhan, Chairman Sh. Arun Vohra, Secretary	Office: 01374-226557 9456592165

